अपील Rcms- 2018/000029

राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राजस्थान)

(बईजलास : चेतन देवडा आई.ए.एस.)

प्रकरण सं.–11/2018

पंजियन दि. 05.09.2018
निर्णय दि. 24.07.2019

1. श्रीमति गीता पत्नि गौतम पाटीदार,
2. श्री गौतम पिता रामजी पाटीदार

निवासी खुटवाडा, तहसील गलियाकोट व जिला डूंगरपुर

–– अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमति केसर पत्नि श्री जीवालाल पाटीदार, निवासी जोगपुर तहसील गलियाकोट
2. श्री जीवालाल पुत्र श्री थोबजी पाटीदार निवासी जोगपुर तहसील गलियाकोट
3. भूमिधारी जरिये तहसीलदार, गलियाकोट

––रेस्पोडेन्टगण

प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत्

उपस्थित :– 1. श्री संजीव भटनागर – अपीलान्टगण
2. श्री प्रवीण शुक्ला – रेस्पोडेन्टगण सं. 1 व 2
3. पैरोकार सरकार – रेस्पोडेन्ट सं. 3

:: निर्णय ::

अपीलार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना–पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के अंतर्गत भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 26.06.2002 को मौजा खुटवाडा के आराजी नंबर 1677 में से रकबा 02–00 बीघा भूमि रेस्पोडेन्ट को आवंटित हुई हैं, जिसका वर्तमान खसरा नंबर 2511/1677 कायम है, को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण की ओर से प्रार्थना–पत्र न्यायालय हाजा में इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थीगण पति–पत्नि होकर ग्राम खुटवाडा तहसील गलियाकोट जिला डूंगरपुर के निवासी है एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 ग्राम जोगपुर के निवासी हैं। ग्राम खुटवाडा तहसील गलियाकोट के खसरा नंबर 1677 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा में से रकबा 2 बीघा भूमि कृषि प्रयोजनार्थ रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 ने आवंटन सलाहकार समिति केम्प खुटवाडा से मीलीभगत करते हुए फर्जी तरीके से बिना किसी सार्वजनिक सूचना एवं बिना जानकरी गुप–चुप तरीके से मौके पर कब्जा प्राप्त किये बगैर दिनांक 24.06.2002 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित करवाते हुए गुपचुप तरीके से आवंटित भूमि का ख.नं. 2511/1677 रकबा 2 बीघा कायम

Scanned by CamScanner

करा जमावंदी संवत् 2072–75 में खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये है। आवंटित भूमि पर आवंटीगण का आवंटन से पहले तथा आवंटन के बाद कब्जा नहीं रहा है। उक्त भूमि अपीलार्थीगण के खाते की भूमि से सटी हुई हैं। अपीलार्थीगण अपने खाते की भूमि खसरा नंबर 2500/1598 एवं 2501/1677 से ही आना–जाना संभव होने से प्रार्थीगण ही वरसों से सम्पूर्ण रकवा 2 बीघा भूमि पर काबिज है। आवंटित भूमि पर पहले से अपीलार्थीगण का कब्जा था जिसे रेस्पोडेन्ट ने चोरी–छिपे आवंटन करवा ली है। अतः अपील प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेन्टगण का आवंटन निरस्त किया जावें।

अपीलार्थीगण के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं.1 व 2 की तरफ से अभिभाषक नियुक्त हुए एवं प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र के क्रम में जवाब प्रस्तुत किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत विस्तृत जवाब में अपीलार्थीगण का प्रार्थना–पत्र निरस्त करने निवेदन किया गया।

अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के अधिवक्तागण की बहस समायत की गई। अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अपेन प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट सं.1 व 2 ग्राम खुटवाडा के निवासी नहीं होकर ग्राम जोगपुर के निवासी हैं। ग्राम खुटवाडा तहसील गलियाकोट जिसकी तहसील पहले सागवाडा थी के बिलानाम खसरा संख्या 1677 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा में से रकबा 2 बीघा कृषि भूमि रेस्पोडेन्ट सं.1 व 2 ने आवंटन सलाहकार समिति केम्प खुटवाडा से मीलीभगत करते हुए फर्जी तरीके से बगैर किसी सार्वजनिक सूचना एवं बिना जानकारी के गुपचुप मौके पर कब्जा प्राप्त किये बगैर आवंटित ही करवा ली है। आवंटित भूमि के पास अपीलार्थीगण के खाते की भूमि आराजी नंबर 2500/1598 एवं 2501/1677 स्थित हैं। आवंटित भूमि पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 का आवंटन के पूर्व से अथवा आवंटन के पश्चात् कभी भी काश्त कब्जा नहीं रहा है।आवंटन कार्यवाही में मीसल नंबर अंकित नहीं हैं। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 ने मीलीभगत करते हुए उक्त भूमि का आवंटन करवा लिया है एवं बाद में मीलीभगत करके ही खातेदारी अधिकार भी प्राप्त कर लिये हैं। अतः अपीलार्थीगण का अपील प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाते हुए रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के नाम आवंटित भूमि मौजा खुटवाडा के वर्तमान ख.नं. 2511/1677 रकबा 2 बीघा का आवंटन जो आवंटन सलाहकार समिति केम्प खुटवाडा में दिनांक 24.06.2002 को किया गया है को निरस्त/खारीज किया जाकर भूमि पूर्वानुसार बिलानाम सरकार दर्ज की जावें।

रेस्पोडेन्ट सं.1 व 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अपने जवाब को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थीगण ग्राम खुटवाडा के निवासी नहीं होर ग्राम जोगपुर के निवासी हैं जबकि रेस्पोडेन्ट सं.1 व 2 ग्राम खुटवाडा के निवासी हैं। रेस्पोडेन्ट सं.1 व 2 का ग्राम खुटवाडा की बिलानाम आराजी भूमि खसरा संख्या 1677 की कृषि भूमि में रकबा 2 से 3 बीघा भूमि पर उसके पूर्वज

Scanned by CamScanner

श्री थोबजी पिता नगजी के समय से ही लगातार काश्त–कब्जा चला आ रहा था जिस बाबत प्रपत्र पी–14 में अंकन हैं तथा धारा–91 भू–राजस्व के तहत नोटिसेज जारी हो पेनाल्टीयां भी जमा कराई गई है। श्री थोवजी के पश्चात् रेस्पोडेन्ट सं.1 व 2 प्रश्नगत भूमि पर काबिज काश्त रहे है तथा इसी कारण आवंटन संलाहकार समिति केम्प खुटवाडा द्वारा दिनांक 24.06.2002 को मजमे आम में ग्राम खुटवाडा की बिलानाम कृषि भूमि आराजी नंबर 1677 रकवा 12 बीघा 10 बिस्वा में से 2 बीघा भूमि नियमानुसार आवंटन हुआ हैं। रेस्पोडेन्ट सं.1 व 2 को आवंटित भूमि का नियमों के तहत ही रेकार्ड में अमलदरामद होकर नक्शे में चित्रण हुआ है जिसकी खाते की पासबूक भी जारी हुई है। उक्त केम्प में ही अपीलार्थीगण को भी आराजी सं. 1677 में रकबा 3 बीघा भूमि का आवंटन हुआ है जिसकी आराजी नंबर 2501/1677 कायम हुई हैं। अपीलार्थीगण ने बाद में राजस्व कार्मिकों से मीलीभगत करके रेस्पोडेन्ट सं.1 व 2 को परेशान करने के दृष्टिकोण से नक्शे में हेर–फेर कराते हुए रेस्पोडेन्टगण को आवंटित भूमि को हडपने की नियत से परेशान किया जा रहा है। रेस्पोडेन्ट सं.1 व 2 के आवंटित भूमि का मीसल नंबर अंकित होने अथवा नहीं होने में उनका कोई दोष नहीं हैं, चूंकि अपीलार्थीगण को भी इसी केम्प में ही भूमि का आवंटन हो उसमें भी मीसल नंबर अंकित नहीं है। रेस्पोडेन्ट सं.1 व 2 ने किसी तथ्यों को छिपाते हुए अथवा कपट पूर्वक कोई आवंटन नहीं करवाया हैं। अतः अपीलार्थीगण का प्रार्थना–पत्र निरस्त/खारिज फरमाया जाकर रेस्पोडेन्ट सं.1 व 2 का आवंटन बहाल रखा जावें। प्रकरण में पेरोकार सरकार फोर्मल पक्षकार के रूप में उपस्थित हुए हैं।

उभयपक्षों की बहस पर मनन करते हुए पत्रावली एवं इसमें संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अपीलार्थीगण ने अपने प्रार्थना–पत्र एवं बहस में कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट सं.1 व 2 ग्राम खुटवाडा के निवासी नहीं होकर ग्राम जोगपुर के निवासी हैं, किन्तु इसके प्रमाण में उनके द्वारा कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये, जबकि रेस्पोडेन्ट सं.1 व 2 ने अपने ग्राम खुटवाडा के निवासी होने के प्रमाण–स्वरूप परिवार का राशनकार्ड संख्या 00274, भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र संख्या एल.वाय.एन/1514983, भारत सरकार का आधार कार्ड नंबर 567644818259 एवं 867944571884 आदि की छायाप्रतियां प्रस्तुत की हैं, जिसमें रेस्पोडेन्ट सं.1 व 2 का निवास ग्राम खुटवाडा अंकित हैं। अपीलार्थीगण ने अपने प्रार्थना–पत्र एवं वक्त बहस यह भी कथन किया है कि मौजा खुटवाडा की प्रश्नगत भूमि खसरा नंबर 1677 पर रेस्पोडेन्ट सं.1 व 2 को आवंटन के पूर्व अथवा बाद में कब्जा नहीं रहा है, किन्तु रेस्पोडेन्ट की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत धारा–91 भू–राजस्व अधिनियम 1955 के तहत जारी नोटिस की छायाप्रति एवं पी–14 के अनुसार रेस्पोडेन्ट सं. 2 के पिता श्री थोबजी का ग्राम खुटवाडा के खसरा नंबर 1677 के रकबा 03 बीघा पर संवत् 2039 अर्थात् वर्ष 1982–83 में अतिक्रमण रहा हैं। इसी प्रकार पत्रावली में प्रस्तुत खसरा परिवर्तित निर्धारण पी–14 की प्रतिलिपियों के अनुसार भी ग्राम खुटवाडा की प्रश्नगत आराजी नंबर 1677 के रकबा 3 बीघा पर संवत् 2040 वर्ष 1983–84 एवं

न्यायालय जिला कलक्टर बांसवाड़ा (राजस्थान)

Scanned by CamScanner

संवत् 2047 वर्ष 1990–91 में तथा रकबा 2 बीघा पर संवत् 2042 वर्ष 1982–83 एवं संवत् 2047 वर्ष 1990–91 में अतिक्रमण रहा हैं। उक्त दस्तावेजात से यह प्रमाणित है कि रेस्पोडेन्ट सं.1 व 2 ग्राम खुटवाडा के निवासी होकर उनके पूर्वज श्री थोवजी का प्रश्तगत आराजी भूमि कब्जा रहा है। अपीलार्थीगण ने उक्त भूमि पर अपने कब्जे काश्त के संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया हैं। रेस्पोडेन्ट सं.1 व 2 के भूमि आवंटन पत्रावली में मिसल नंबर अंकित नहीं होने का दोष रेस्पोडेन्टगण का नहीं है। पत्रावली में प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2072–75 की प्रमाणित प्रतिलिपी के अवलोकन से प्रार्थीगण को भी ग्राम खुंटवाडा की प्रश्नगत आराजी संख्या 1677 में रकबा 3 बीघा भूमि आवंटित हो रेकार्ड में हाल आराजी नंबर 2501/1677 अंकित होना पाया जाता है। अपीलार्थीगण ने यह प्रमाणित नहीं कराया है कि रेस्पोडेन्टगण ने प्रश्नगत भूमि आवंटन में किसी तथ्य को छुपाया हो अथवा आवंटन सलाहकार समिति ने भूमि आवंटन करने बाबत किसी प्रकार की अनियमितता की हो। आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकारी भी रेस्पोडेन्टस को प्राप्त हो चुके हैं। उक्त तथ्यों के आलोक में प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य नहीं हैं।

अतः उपरोक्त विवेचना अनुसार रेस्पोडेन्ट सं.1 व 2 के नाम आवंटित भूमि में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती हैं। फलतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को एतद्द्वारा खारिज/निरस्त किया जाता है तथा रेस्पोडेन्ट सं.1 व 2 को आवंटन सलाहकार समिति केम्प खुटवाडा द्वारा दिनांक 24.06.2002 को ग्राम खुटवाडा की आराजी नंबर 1677 में रकब 2 बीघा के आवंटन जिसकी हाल आराजी नंबर 2511/1677 कायम हैं, का आवंटन बहाल/यथावत रखा जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 24.07.2019 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम की जावें।

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

(चेतन देवडा)
जिला कलक्टर
डूंगरपुर

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

Scanned by CamScanner